पंचायत निगरानी संख्या : 43/2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम स्व. जालमसिंह के का.मु. जीवन कंवर व अन्य
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 43/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/49

प्रार्थी :–

पुष्पादेवी पत्नी तेजपुरी गोस्वामी निवासी बमणीया ग्राम पंचायत मोखमपुरा तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. स्व. जालमसिंह पुत्र हीरसिंह के का.मु. :–
   - 1.1. जीवनकंवर पत्नी जालमसिंह
   - 1.2. करणसिंह पुत्र जालमसिंह
   - 1.3. श्रवणसिंह पुत्र जालमसिंह
   - 1.4. विरेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह
   - 1.5. विनोदकंवर पुत्री जालमसिंह
   - 1.6. अमृतकंवर पुत्री जालमसिंह
   - 1.7. पूरण कंवर पुत्री जालमसिंह
   - 1.8. सूरजकंवर पुत्री जालमसिंह

   तमाम जातिगण राजपुत निवासीगण बमणिया तहसील बाली जिला पाली राज.

2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत मोकमपुरा तहसील बाली जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत मोकमपुरा के प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 21.06.2004 की अनुपालना में जारी विक्रय विलेख ग्राम पंचायत मोकमपुरा ग्राम बमणिया में पट्टा संख्या 46 दिनांक 21.06.2004 को निरस्त करवाने बाबत्।

–:निर्णय:–

दिनांक: 16.04.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत **ग्राम पंचायत मोकमपुरा के प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 21.06.2004 की अनुपालना में जारी विक्रय विलेख ग्राम पंचायत मोकमपुरा ग्राम बमणिया में पट्टा संख्या 46 दिनांक 21.06.2004 को** निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner

पंचायत निगरानी संख्या : 43/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम स्व. जालमसिंह के का.मु. जीवन कंवर व अन्य
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार ग्राम बमणिया ग्राम पंचायत मोकमपुरा तहसील बाली में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 जालमसिंह व अन्य के मकान का ग्राम बमणिया की आबादी भूमि वाके माताजी की गली हाल वार्ड नम्बर 07 में आया हुआ स्थित है। जिसमें दोनो पक्षकारों का वर्षों पूर्व रहवास है। तथा वर्षो पूर्व ही मकान बने हुए है। दोनो पक्षकार वर्षो पूर्व से अपने-अपने मकानों में निवास कर रहे है। ग्राम पंचायत मोकमपुरा ने अप्रार्थी संख्या 01 जालमसिंह द्वारा तत्कालीन सरपंच से सांठ-गाठ कर बाले-बाले एक पट्टा संख्या 46 पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 145 से 157 तक की पालना किये बगैर पट्टा 157 ख में जारी कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 01 जालमसिंह द्वारा बाले-बाले ग्राम पंचायत में बैठकर बिना मौका पर आये नापचौक अपनी मनमर्जी से पट्टे में भरवा दिये है। जिसके परिणामस्वरुप अप्रार्थी संख्या 01 जालमसिंह द्वारा दक्षिण दिशा में मूल भूजा 65 फीट लम्बाई में होने के उपरान्त भी भूजा 68 फीट भरवा दिया है। परिणामत् अप्रार्थी संख्या 01 जालमसिंह के मकान के पट्टे की 03 फीट जमीन प्रार्थीया के पट्टाशुदा मकान में अंकित हो गई है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 जालमसिंह येन केन प्रकरण अब कब्जा करने पर उतारु है। प्रार्थीया का वर्षो पूर्व पुराना मकान आज तक पट्टा बनाने से पूर्व ही बना हुआ है जो आज भी मौजुद है। जिस कारण प्रार्थीया का अपने कब्जे से अधिक भाग पर कतई कब्जा नहीं रहा है। दिनांक 30.10.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 जालमसिंह ने निर्माण कार्य करना शुरु किया तब उसने पट्टे में लिखे नाप को आधार बनाकर प्रार्थीया के मकान को 03 फीट तक तोड़कर अवैध कब्जा करने की कोशिश व मंशा जाहिर की तब वाद हेतुक पैदा हुआ कि वार्ड पचों ने मिसल कायम करने व मौका निरीक्षण में गलत नाप लिख दिया है। आबादी भूमि का निरीक्षण करते समय व प्रपत्र बनाने में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 146 की पालना मौके पर जाकर नहीं की तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बताये हुए नाप अनुसार ही नाप लिख दिया जबकि पडौस में स्थित प्रार्थीया को अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा बनाते समय न तो सुना गया न ही इनकी भनक तक लगने दी तथा नियम 146 आदेशित विक्रय की वांछनियता के संबंध में मनगंढ़त रिपोर्ट पेश की जो वास्तविकता से परे है। मौके पर जाकर सहीं नाप चौक नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा लिखवाया गया नाप दक्षिण भुजा जो वास्तव में 65 फीट ही है लेकिन 68 फीट लिखवाने के कारण प्रार्थीया के निर्माणशुदा मकान में अप्रार्थीगण संख्या 01 का 03 फीट हिस्सा निकल रहा है जिसे अप्रार्थी संख्या 01 येन केन प्रकरण हथियाना चाहता है प्रार्थीया के मकान का निकास भी उत्तर दिशा में है। जो अप्रार्थी संख्या 01 के दरवाजे के सामने से होकर वर्षो पूर्व से इसी स्थान से है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीया के निर्माणशुदा मकान को खुर्द-बुर्द कर अपनी 03 फीट जमीन को हथियाना चाहता है जिसके कारण प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अप्रार्थी संख्या 01 हमेशा किसी न किसी कारणवश प्रार्थीया से झगडा करने पर उतारु हो जाता है। इसी कारण प्रार्थीया व उनके परिवार का उक्त मकान में रहना दुर्लभ हो गया है। अप्रार्थी संख्या 01 धन बल व जाति समुदाय से सक्षम होने के कारण आये दिन प्रार्थीया को 03 फीट मकान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner

पंचायत निगरानी संख्या : 43/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम स्व. जालमसिंह के का.गु. जीवन कंवर व अन्य
अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

खाली करने की ऐलानिया धमकी भी दे रहा है। ग्राम पंचायत मोकमपुरा के ग्रुप सचिव ने नियम 148(2) की पालना किये बगैर तथा आपत्ति नोटिस का सहज दृश्य भाग पर चस्पा नहीं किया तथा न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये न ही कभी मौके पर नाप चौक करने या पट्टा बनाने से संबंधित गतिविधियों को लेकर किसी प्रकार की कोई हलचल हुई। अन्यथा प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा करवाये जा रहे गलत व मनगढत पट्टा निर्माण की प्रक्रिया का ध्यान पड जाता तथा अपने आपेक्ष ग्राम पंचायत में जरुर दर्ज करवाती लेकिन पंचायत द्वारा प्रार्थीया के पडौसी होने के उपरांत भी खबर नहीं लगने दी तथा न ही प्रार्थीया को सुना गया। किसी स्वतंत्र साक्ष्यों के नियम 149 की पालना में आक्षेप आमंत्रित नहीं किये तथा न हीं किसी भी पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया। इस कारण नियम नियम विरुद्ध जारी किया गया पट्टा काबिल खारिज है। सरपंच ग्राम पंचायत मोकमपुरा द्वारा बाले–बाले की गई कार्यवाही के गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्राप्त पट्टा संख्या 46 में वर्णित नाप के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीया के निर्माणशुदा मकान के भाग में गैर कानुनी रुप से 03 फीट तक अतिक्रमण करने पर उतारु है। जिस कारण प्रार्थीया व प्रार्थीया के परिवार का पडौस मे रहना मुश्किल हो गया है।

अतः पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 स्वीकार फरमाई जावे एवं ग्राम पंचायत मोकमपुरा का आदेश प्रस्ताव दिनांक 21.06.2004 व विक्रय विलेख पट्टा संख्या 46 मिसल संख्या 20 जारी दिनांक 21.06.2004 को निरस्त करवाने का आदेश करावें।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में न्यायालय अति जिला कलक्टर पाली के पत्रांक/कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान/वकुलाय को सुचित किया गया।

अप्रार्थीगण को जवाब निगरानी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया अतः अप्रार्थी संख्या 01 कायम मुकाम का जवाब का अवसर बंद किये जाने का निर्णय लिया गया।

उभयपक्ष की बहस को सुना गया तथा ग्राम पंचायत मोकमपुरा द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रकरण में कोई वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 46 में पट्टे के साक्षी के रुप में निगरानीकर्ता के पति स्वयं तेजपुरी के हस्ताक्षर है। निगरानीकर्ता ने स्वयं के मकान का पट्टा अथवा निगरानी बिन्दुओं की पुष्टि हेतु किसी अन्य पड़ौसी का पट्टा इत्यादि तथा ऐसा कोई फोटोग्राफ आदि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CS CamScanner

पंचायत निगरानी संख्या : 43/2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम स्व. जालमसिंह के का.मु. जीवन कंवर व अन्य

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि जैर निगरानी भूखण्ड के पट्टे की दक्षिणी भुजा तीन फुट बेशी अंकित की गई है। पट्टाधारी ने आवेदन में उत्तरी भुजा 73 फुट, दक्षिणी भुजा 69 फूट, पूर्वी भुजा 32 फुट, व पश्चिमी भुजा 37.6 फुट अंकित की थी, किन्तु मौके पर माप–चौक में कम कर वास्तविक माप का ही पट्टा जारी किया हुआ है।

अतः उपरोक्त वजहातों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 बलहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली